न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **16 / 2026**

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गोपसिंह पुत्र नरसिंह 2. कानसिंह पुत्र नरसिंह 3. कंवरूकंवर पत्नी हिन्दूसिंह 4. महेशसिंह पुत्र हिन्दूसिंह 5. मेहताबसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपुत, निवासी राणेजी की बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. माधोसिहं उर्फ माधुसिंह पुत्र लालसिंह 2. जेठमालसिंह पुत्र लालसिंह फौत के का.मु. (प्रतिवादी संख्या 3 छोटूसिंह पुत्र जेठमालसिंह) 3. छोटुसिंह पुत्र जेठमालसिंह 4. गंगसिंह पुत्र मेगराजसिंह जाति राजपुत, निवासी राणेजी की बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर 5. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शिव 6. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव 7. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शिव 8. तहसीलदार शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता वादीगण – श्री अभयसिंह राठौड़।
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 4 – श्री कैलाशसिंह राठौड़।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

–:: निर्णय ::–

दिनांक : **05.02.2026**

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। वाद में वादीगण द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा तालों का पार, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1127, 1187, 1186 रकबा क्रमशः 12.6909, 4.6620, 6.2160 हैक्टेयर में अपने खातेदारी हिस्सा की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। चूंकि वर्तमान में पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 की ओर से जवाबदावा तथा समस्त खातेदारान् द्वारा 100 रूपये के स्टाम्प पर सहमति पत्र/ईकरारनामा पेश कर वादीगण के साथ साथ प्रतिवादीगण का खातेदारी हिस्सानुसार व ईकरारनामा के संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार विवादित आराजी का विभाजन किये जाने बाबत् पूर्ण रूप से सहमति प्रदान की गई। उभयपक्ष द्वारा वादपत्र एवं जवाबदावा के संलग्न पेश परिशिष्ट 'ब' अनुसार अंतिम डिक्री जारी कर वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः उक्त स्थिति में उभयपक्ष में सहमति हो जाने से वादपत्र एवं जवाबदावा तथा संलग्न पेश परिशिष्ट 'ब' अनुसार वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक वादपत्र एवं जवाबदावा व ईकरारनामा/सहमति पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल कोटड़ा के ग्राम तालों का पार के खेत खसरा नम्बर 1127, 1187, 1186 रकबा क्रमशः 12.6909, 4.6620, 6.2160 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. स.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा	रकबा (हेक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	कंवरूकंवर पत्नी हिन्दूसिंह 1/6, महेशसिंह पुत्र हिन्दूसिंह 1/6, कानसिंह पुत्र नरसिंह [illegible] गोपसिंह पुत्र नरसिंह 1/3 जाति राजपुत [illegible] खातेदार रहन हिस्सा कंवरूकंवर बैंक [illegible] इण्डिया शाखा शिव	तालों [illegible]	1127 [illegible]	2.3309 2.6305	बा.दो. बा.अ.	–	आसमानी
			02	4.9614			
2	गगसिंह पुत्र मेगराजसिंह जाति राजपुत सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शिव	तालों का पार	1127 1186	2.1853 2.7761	बा.दो. बा.अ.	–	गुलाबी
			02	4.9614			

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.18 10:13:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

3	छोटूसिंह पुत्र जेठमालसिंह 1/2, माघोसिंह पुत्र लालसिंह 1/2 जाति राजपुत सा. देह खातेदार	तालों का पार	1127 1186 1187	1.8292 0.8094 2.3310	था.दो. बा.अ. ख.अ.	–	हरा
			03	4.9696			
4	मेहताबसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपुत सा. देह खातेदार	तालों का पार	1127 1187	6.3455 2.3310	बा.दो. ख.अ.	–	नीला
			03	8.6765			

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 05.02.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.18 10:13:42 IST
Reason: SelfAttested